

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केश नं०- 30 / 19-20

सुरुजा पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा-कैशगडिया

—: आदेश :-

18.02.2022

वर्तमान प्रधान नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदक सुरुजा पहाड़िया, पे०-छोटा मैसा पहाड़िया, सा०-कैशगडिया, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-कैशगडिया नं०-20 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक-85/रा०, दिनांक-14.02.2022 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- कैशगडिया नं०-20 प्रधानी मौजा है। प्रासंगिक मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान स्व० गुडू चांदु पहाड़िया, पे०-स्व० सुरजा पहाड़िया थे। आवेदक सुरुजा पहाड़िया, पे०-छोटा मैसा पहाड़िया, जमाबंदी रैयत स्व० मैसा सुरजा पहाड़िया के वंशज से आते हैं तथा आवेदक प्रासंगिक मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान स्व० गुडू चांदु पहाड़िया के परपोता हैं।

किसी भी व्यक्ति या अधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक प्रासंगिक मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरुद्ध संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के अनुसूची-V की उपधारा-3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be Headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरुद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक सुरुजा पहाड़िया, पे०-छोटा मैसा पहाड़िया, सा०-कैशगडिया, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा को संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा- कैशगडिया नं०-20 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।